कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट मरिया, कान्वेन्ट स्कूल
बाजपुर ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक /अशास0बे0/ 9893-97 /मान्यता–105(09–10)/2009–10 दिनांक 22/03/10

विषयः– स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला मान्यता समिति जनपद ऊधमसिंह नगर की बैठक दिनांक 15–03–2010 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय के मान्यता प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को शासनादेश सं–1073 /15–06–98 (एस–7)/89 दिनांक 10–09–98 एवं उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 संख्या 266/XXIV–4/2009 देहरादून , 10 जुलाई 2009 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत स्थाई मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आपको बेसिक शिक्षा विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसा न करने की दशा में प्रदत्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0/अशास0बे0/ /मान्यता–105(09–10)/2009–10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय को स्थाई मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी है कि विभागीय नियमों को पालन कराने हेतु आप समय–समय पर निरीक्षण कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करें।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।

पत्रांक : मान्यता/2579-81 /2013–14 दिनांक 27 मई 2013

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
सैन्ट मारिया कान्वेन्ट स्कूल, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।

विषयः बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 की धारा 18–1 के प्रयोजनार्थ बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 के अध्याय 4 के नियम 4.2.4 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन –पत्र और उसके क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के किये गये निरीक्षण एवं जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 13/05/2013 के आलोक में आपके विद्यालय सैन्ट मारिया कान्वेन्ट स्कूल, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर। कक्षा 06 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षों (वर्ष 2013–14 से 31 मार्च 2016) तक की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी –

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफत एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम– 2009 तथा उत्तराखण्ड राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 के उपधारा "ब" के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक के खाते का संचालन करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिग अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे :

;एक– किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

;दो– किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

;तीन– किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

;चार– प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को अध्याय 5 के नियम 5.2. 2 के अलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

;पांच– अधिनियम के प्रावधनों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

;छः– शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 23 की धारा–1 में उनके लिए निर्धरित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत जैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

;सात– शिक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 24 की धारा–1 में प्रावधानित शिक्षों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

;आठ– शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि,(ट्यूशन) में संलग्न नहीं होगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 में उद्धत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। जो निम्नवत् हैं :

;एक– विद्यालय भूमि–भवन पक्का हो।

;दो– विद्यालय के पास खेल का मैदान अपना हो।

;तीन– मानकानुसार कक्षा–कक्षों का निर्माण किया जाय।

;चार– प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष।

;पांच– बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय होना अनिवार्य है।

;छः– पेयजल की सुविधा।

;सात– मध्याहन भोजन के लिए रसोई–घर पूर्ण हो।

;आठ– बाधा रहित पहुँच मार्ग हो।

;नौ– शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय आदि हो।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या 23/2013–014 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने के इस कोड को अंकित एवं उद्वत किया जाए।

17. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अध्किारी के द्वारा समय–समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाऐं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

20. परिशिष्ट– तीन के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0: मान्यता / /2013–14

प्रतिलिपि :

1. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (बे0), ऊधमसिंह नगर।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned by CamScanner